Title: Re: Infringement of Freedom of Press by Rajasthan Government regarding advertisement issue in Print Media, Rastradoot Newspaper.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे आज शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे गृह राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सरकार की विफलताओं की खबर न छापने और सरकार की योजनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए मीडिया को मजबूर करते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है।

महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि अगर विज्ञापन लेना है, तो मेरी बात को छापो। अगर विज्ञापन लेना है, तो जैसा मैं कहूं, वैसा छापो। माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया पर ऐसा दबाव बना रहे हैं। राजस्थान के सबसे मुख्य एवं सबसे पुराने दैनिक ?राष्ट्रदूत? के प्रबंध निदेशक श्री राकेश शर्मा ने वित्तीयन को नुकसान पहुंचाकर स्वतंत्र पत्रकारिता को पूरी तरह खत्म करने के इस प्रयास के खिलाफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है।

मैं जांच समिति का वक्तव्य इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन जारी करने में समाचार पत्र राष्ट्रदूत के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उपर्युक्त मामले में हम इस मामले की अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं। उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में जांच समिति काउंसिल यह अनुशंसा करती है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री के उक्त कथन पर अपनी घोर आपत्ति व्यक्त करें। काउंसिल यह भी देख सकती है कि भविष्य में इस तरह के बयानों से बचा जा सके, क्योंकि इसका प्रिंट मीडिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस विषय को अपने संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई कर मीडिया को?(व्यवधान)